



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 299] No. 299] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2007/आषाढ़ 12, 1929 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2007/ASADHA 12, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2007

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 25 जून, 2007 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पी-23011/1/2006-विपणन] डि. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2007

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby notifies the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board with effect from the 25th June, 2007.

[F. No. P-23011/1/2006-Mkt.]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.